

①

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-52/2012/20-3

भोपाल, दिनांक 7/7/2012

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय-अभास्यकी शिक्षा संस्था नेचर स्कूल कूडरुम, बरौदा जिला सोसायटी, हर्षनगर कॉलोनी, कलेक्टर रोड, जिला कटनी, मध्य प्रदेश को बोर्डिंग से 12 तक सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अन्यापत्ता प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

-0-

राज्य शासन द्वारा विद्यमान संस्था द्वारा आदेशित एच.एस.एस.एस. के आधार पर संस्था को 12 तक सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अन्यापत्ता प्रमाण-पत्र नियमित रूप से प्रदान किया है।

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समत-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं शिक्षा के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कार्यवाही समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, कटनी, (म.प्र.) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित अग्नि शमन पत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संस्था में प्रमत्त-समय पर जारी किए गए गए निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

सदरपत्रों के राज्यावल के नाम से तथा आदेशानुसार

(जी. एन. डाकूर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
30/6/12

बेटी है तो कल है।

1/2/11

पू०क० एफ क्रमांक एफ 73-52/2012/20-3

भापाल, दिनांक 30.06/2012

प्रतिलिपि -

1- सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था मेजर स्कूल कृष्णन चोरीदेबल जोसायटी, हर्षनगर कौताली, कलावती रोड, जिला कटनी, मध्य प्रदेश को प्रश्न 1 से 12 तक सीबीएसई से सम्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है-

(i) संस्था सीबीएसई के अनुरूप मापदण्डों को पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा।

(ii) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र विस्तार किया जा सकता।

2- आयुक्त, लोक शिक्षण, भापाल, म.प्र.।

3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कटनी, म.प्र.।

4- ऑडर बुक।

अतिरिक्त सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

20/6/12

बेटी है तो कल है।